न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 313 /2026 अनवान **अर्जुनराम बनाम गोरखाराम वगैरा**

दिनांक .05.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाडमेर (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 657/2024 बअनवान गोरखाराम बनाम अर्जुनराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.06.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। अपील के साथ म्याद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 प्रार्थी–गोरखाराम पुत्र खेताराम सुथार ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील बाडमेर ग्रामीण स्थित ग्राम नागाणा के खसरा नम्बर 469/355, 636/355 व 478/355 की उल्लेखित रकबा भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–अर्जुनराम पुत्र जगराम जाति जाट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

वकील अपीलांट श्री मोहनलाल खत्री उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थी ग्राम नागाणा के खसरा नम्बर 339 की भूमि के खातेदार काश्तकार है। जिसके पडौस में बंटवाडा किये हुए वादग्रस्त खसरान की भूमि स्थित है। अपीलांट की भूमि पर बाउण्ड्री बनी हुई है। आलौच्य प्रकरण अपीलांट को रजि0 डाक द्वारा नोटिस भेजने को आधार मानकर एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया गया, जबकि उक्त नोटिस अपीलांट का प्राप्त नही हुआ और न ही इनकी ट्रेकिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वादग्रस्त खसरान की मौका फर्द दिनांक 05, 19 व 20.03.2026 में प्रार्थी की आंशिक भूमि पर पडौसी खातेदार का कब्जा होना बताया गया है। आरएलआर एक्ट की धारा 111 के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी/विप्रार्थी के खेतों का कब्जा किस प्रकार तथा मौके पर सीमाओं की स्थिति किस प्रकार से है, उसकी रिपोर्ट के बिना आदेश पारित कर दिया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलाधीन आदेश की पालना में वादग्रस्त खसरान की नेखमबंदी मार्च 2026 में कर दी गई है, जिसमें आपसी मिलीभगत से किसी को नोटिस नही दिया गया और न ही रिपोर्ट पर किसी के हस्ताक्षर करवाये गये। स्वयं अपीलांट का नेखमबंदी प्रार्थना पत्र दिनांक 17.12.2005 को स्वीकार हुआ था, जिसकी पालना आज तक तहसीलदार द्वारा नही की गई है तथा रेस्पो0सं0 1 के नेखमबंदी का आवेदन जून 2025 में निर्णित हुआ, जिसकी पालना कर दी गई है। जबकि न्यायहित में दोनों पक्षों के आदेशों की पालना साथ में ही की जानी चाहिए थी।

इस प्रकार प्रकरण में अविवादित पैमाईश रिपोर्ट के अभाव में नेखमबंदी का आदेश पारित कर दिया गया है, जो विधिविरूद्ध होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

बहस एकतरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार प्रकट है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर को पक्षकार नही बनाया गया तथा उक्त आदेश तहसीलदार की रिपोर्ट के बिना ही पारित कर दिया गया, जो कि आज्ञापक है। अपीलांट का अभिकथन है कि उसके खातेदारी ख0नं0 339 की नेखमबंदी का आदेश राजस्व आवेदन संख्या 136/2004 में दिनांक 17.12.2005 को पारित किया गया था, जिसकी पालना आज तक नही हुई है। आलौच्य प्रकरण में उसे रजि0 डाक द्वारा प्रेषित सम्मन प्राप्त नही हुई और न ही इसकी ट्रेकिंग रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसे तामिली मानते हुए, आदेश पारित कर दिया गया। मौके पर नेखमबंदी से पूर्व किसी को सूचित नही किया गया तथा पडौस में बंटवाडा किये हुए वादग्रस्त खसरान की भूमि स्थित है। चूंकि अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त समस्त तथ्यों बाबत प्रकरण में सुनवाई चाहता है तथा रेस्पो0सं0 1 की वादग्रस्त भूमि के साथ–साथ वर्ष 2005 में स्वयं के ख0नं0 339 की भूमि बाबत पारित नेखमबंदी आदेश 17.12.2005 की लंबित पालना करवाना चाहता है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 657/2024 बअनवान गोरखाराम बनाम अर्जुनराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 19.06.2025 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान की सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, दोनों पक्षों के खसरान का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाने हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 6-5-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

6/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर